ISSN: 2249-894X IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) VOLUME - 6 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2017

REVIEW OF RESEARCH

भारत में बाल-अपराध: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

निशा पारीक

शोध छात्रा , राजनीति विज्ञान विभाग , वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.

सारांश

बाल अपराध के कारणों में से सबसे अधिक व्यापक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक कारण हैं। प्रमुख सामाजिक कारणों में परिवार, विद्यालय, अपराधी क्षेत्र, बुरी संगति, मनोरंजन, युद्ध, स्थानान्तरण एवं सामाजिक विघटन हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारणों में मानसिक रोग, बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्तित्व के लक्षण, संवेगात्मक अस्थिरता हैं। आर्थिक कारणों में निर्धनता, भुखमरी, बच्चों का नौकरी करना, पारिवारिक संघर्ष प्रमुख हैं। बाल-अपराधियों को सुधारने के लिए किशोर न्यायालय, सुधार गृह, बोर्स्टल स्कूल, प्रमाणित विद्यालय, रिमाण्ड होम, प्रोबेशन एवं फोरस्टर गृह जैसी सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की गयी है। बाल-अपचारियों का उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों- वातावरण उपचार, पुनः शिक्षा, अनिर्देशित विधि, सुझाव और परामर्श का प्रयोग करना चाहिए। उसके अतिरिक्त प्रोत्साहन, मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि का उपयोग भी विशेष लाभकारी हो सकता है।

प्रयुक्त शब्दावली: बाल-अपराध, बाल अपराध के लक्षण, बाल-अपराध के कारण, सरकार के प्रयास, बाल-अपराध का उपचार.

प्रस्तावना :

अपराध मानव व्यवहार है किन्तु सभी मानव व्यवहार अपराध नहीं है सिर्फ वही मानव व्यवहार अपराध है जो सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल होते हैं और जिनसे समाज को हानि होती है। मनुष्य के इस प्रकार के व्यवहार जिनका संबंध अपराध से है, सार्वभौमिक हैं एवं सार्वकालिक हैं चाहे वह समाज आदिम हो अथवा आधुनिक और चाहे वह समाज शिक्षित हो या अशिक्षित। मृत्यु और बीमारी की भाँति हर काल और समाज में अपराध पाये गये हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी समाज की आत्मा की सबसे अच्छी पहचान इसी से होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

भारतीय समाज बाल-अपराध एक उभरती हुई विकराल समस्या है। इस शोधपत्र में बाल-अपराध की अवधारणा का विवेचन करते हुए बाल अपराधी के लक्षण एवं विशेषताओं, बाल-अपराध के कारणों, बाल-अपराध: एक विश्लेषण, भारत में बाल-अपराधियों के सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयत्न तथा बाल-अपराध का उपचार हेतु किये जा सकने वाले सुझावों का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

बाल-अपराध: एक परिचय

व्यस्क अपराध की तरह बाल-अपराध भी एक गंभीर समस्या है। जिस तरह अपराध सार्वभौमिक है उसी तरह बाल-अपराध भी सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है। बाल-अपराध सामान्य लक्षणों की तरह अपराध की ही भाँति है। यह भी समाज विरोधी कार्य और इसमें भी कानूनों का उल्लंघन होता है। इस संदर्भ में स्कैफर तथा खुडफेन ने अपनी पुस्तक 'Juvenile Delinquency: An Introduction' में लिखा है। "Both : delinquency and crime are forms of deviation from the value stipulated By the society and its ruling elements" किंतु विभिन्न रूपों में दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। साधारणतः बालक का अपराध बाल-अपराध कहा जाता है अर्थात् एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों का अपराधपूर्ण कार्य बाल-अपराध समझा जाता है। किन्तु प्रश्न उठता है कि बालक किसे कहा जाये? इसके लिए कम या अधिकतम आयु सीमा क्या है? विभिन्न राज्यों या राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न आयु के बच्चों को बाल-अपराध माना गया है। उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु 18 वर्ष है। इसी तरह मिश्र में यह आयु क्रमशः 7 वर्ष से 15 वर्ष, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष तथा ईरान में 11 से 18 वर्ष है। अतः बाल अपराधियों की निम्नतम तथा अधिकतम आयु के संबंध में कोई सार्वभौमिक धारणा प्रचलित नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित आयु तक के बालकों के अपराध को बाल-अपराध कहा जाता है।

सिरिल बर्ट के अनुसार – तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जायें कि उसके विरूद्ध शासन वैधानिक कार्यवाही करें या कार्यवाही कराना आवश्यक हो जाये।

मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार- "एक बालक अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचार कानून का उल्लघंन है।

एच. एच. लाऊ के अनुसार- "बाल-अपराध किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया विधि विरोधी कार्य है जिसकी अवस्था कानून में बाल अवस्था की सीमा में रखी गयी है और जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा दंड व्यवस्था से भिन्न है।

बाल अपराधी: लक्षण एवं विशेषताएँ

बाल-अपराध एक मनोभावनात्मक व्यावहारिक विचलन है। बालक की मनोभावनायें ही उसे अपराधी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अतः अपराध एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है। बालकों की वृत्ति और व्यवहार के द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है इस क्षेत्र के अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर बाल अपराधियों के कुछ सामान्य लक्षण बताये हैं-

1. बाल अपराधी की शारीरिक संरचना सामान्य गठीला शरीर शक्तिशाली तथा निडर होते हैं।
2. वे स्वभाव से बेचैन उग्र बहिर्मुखी तथा विघटनकारी होते हैं।
3. इनका व्यक्तित्व अनैतिक अत्यधिक संवेगशील, स्वार्थी तथा आत्मकेन्द्रित होते हैं।
4. अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से अनभिज्ञ रहते हैं।
5. बाल अपराधी प्रायः सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं।
6. बाल अपराधियों में इदम् (id) अहम् (ego) तथा पराहम् (super ego) में समुचित संतुलन का अभाव होता है।
7. ये प्रायः विषादग्रस्त निराश हताश और गुमसुम दिखाई देते हैं।
8. ये शासन सत्ता के विरोधी नियम कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं।
9. ये अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सुनियोजित रूप से किसी कार्ययोजना का पूर्वनिर्धारण नहीं करते हैं।

बाल-अपराध: एक विश्लेषण

भारत में बाल-अपराध की समस्या एक विकराल समस्या है। अगर देश में भावी कर्णधार ही अपराधिक कार्यों में सलंग्न हो जायें तो उस समाज एवं राष्ट्र की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाल-अपराध को पनपने से रोका जायें। आँकड़े यह बताते हैं कि भारत में बाल-अपराध की समस्या एक गम्भीर समस्या है।

सन 2000 से पूर्व 16 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 18 वर्ष के कम आयु की युवतियों को बालक माना जाता है लेकिन सन् 2000 में किशोर न्याय अधिनियम-1986 में संशोधन कर दिया गया इस संशोधन के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं को 'बालक' माना जाने लगा। सन् 1998 से 2000 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय दण्ड सहिंता के अंतर्गत दर्ज किये गये कुल अपराधों में से लगभग 0.5 प्रतिशत अपराध बच्चों द्वारा किए गए थे। सन् 2001 में यह आंकड़ा बढ़ कर 0.9 प्रतिशत हो गया तो सन् 2002 में 1 फीसदी अपराध, बच्चों द्वारा कारित किये गये। सन् 2002 और 2003 में यह आंकडा कमोबेश यही रहा बच्चों द्वारा अपराध कारित करने का प्रतिशत सन् 2006 में बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया जो सन् 2007 के अंत तक कायम रहा। सन् 2008 में बच्चों द्वारा 1.2 प्रतिशत अपराधों को अंजाम दिया गया।

अब बात विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज ऐसे आपराधिक मामलों की जिन्हें बच्चों द्वारा कारित किया गया था इन कानूनों के अंतर्गत सन् 2007 के दौरान कुल 4163 ऐसे मामले दर्ज किये गये थे, जिन्हें बच्चों द्वारा कारित किया गया था जबकि सन् 2008 में यह आंकड़ा घटकर 3156 ही रह गया था। इस प्रकार ऐसे मामलों में यह सन् 2007 के मुकाबले सन् 2008 में 24.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी जो एक शुभ संकेत है। बच्चों द्वारा जो अपराध कारित किये गये थे उनके आरोपियों में बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत सन् 2008 में 1:20 था जबकि सन् 2007 में यह अनुपात 1:18 था।

वर्ष 2014 में किशोरों द्वारा किये गये अपराधों में मामूली वृद्धि हुई है वहीं अपराध दोहराव वाले किशोरों की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के ऑकड़ों के अनुसार कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की संख्या जो वर्ष 2013 में 31725 थी, वह बढ़कर वर्ष 2014 में 33526 हो गई हालांकि अपराध दोहराव के मामलों में गिरफ्तार किशोरों की संख्या का प्रतिशत वर्ष 2013 में 9.5 प्रतिशत से वर्ष 2014 में घटकर 5.4 प्रतिशत हो गया। किशोर अपराध का प्रतिशत वर्ष 2013 में 26.47 लाख प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 28.51 लाख प्रतिशत हो गया। कुल संज्ञेय अपराधों की घटनाओं में कमी आई और यह प्रतिशत वर्ष 2013 के 1.20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014 में 1.18 प्रतिशत हो गया।

बाल-अपराध के कारण

प्रायः सभी समाजों में बाल-अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पाये जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है अतः अपराधों को रोकना आवश्यक है। अपराध को रोकने के लिए उसके कारणों का पता लगाना आवश्यक है। प्रो. आर. एस. सिंह के अनुसार "बाल-अपराध की व्याख्या एक कारक से कभी सम्भव नहीं। अतः बाल-अपराध के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं। यहां पर किशोरापराध के कारणों को तीन वर्गों में विभाजित कर उनका अध्ययन किया गया है-

1) सामाजिक कारण

किशोरापराध के कारणों में से सबसे अधिक व्यापक सामाजिक कारण हैं। इनमें मुख्य सामाजिक कारण इस प्रकार हैं:-

1. परिवारः- किशोरापराध के कारणों में इलियट व मैरिल ने दूषित पारिवारिक प्रभाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। हीली व ब्रोनर ने शिकागों तथा बोस्टन के 4000 किशोरोपराधियों में 50 प्रतिशत विच्छृंखलित घरों में आये हुए किशोरों के अध्ययन से यह पाया कि परिवार के संबंध में मुख्य परिस्थितियाँ हैं- (क) भग्न परिवार (ख) माता-पिता का रूख (ग) अपराधी भाई बहनों का प्रभाव (घ) माता-पिता का चरित्र व आचार।

(क) भग्न परिवार- भग्न परिवार जैसा के उसके नाम से स्पष्ट है ऐसा परिवार है जिसमें पारिवारिक संबंध टूट चुके हैं। परिवार का तात्पर्य केवल कुछ व्यक्तियों का इकट्ठा रहना मात्र नहीं है बल्कि उनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है इस घनिष्ठता की अनुपस्थिति में परिवार विच्छृंखलित हो जाता है और उस परिवार में किशोर अपराधी उत्पन्न होते हैं। भग्न परिवार में बालक की देखभाल नहीं हो पाती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार विच्छृंखलित परिवार बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अपराधवृत्ति के लिए अधिक सहायक होता है।

(ख) माता-पिता का रुख- किशोरापराध की पारिवारिक परिस्थिति में बालक और माता-पिता के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुधा जब बालक को माता-पिता का प्रेम नहीं मिलता तथा बात-बात में कठोर दण्ड मिलता है तो उसमें विद्रोह और क्षोभ बढ़ता है, जिससे अवसर पाकर वह घर से भाग जाता है और अपराध जगत में पड़ जाता है।

(ग) अपराधी भाई बहनों का प्रभाव- केवल माता-पिता व बालकों के संबंध का ही नहीं बल्कि भाई बहनों के व्यक्तित्व का भी बालकों के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव लड़कियों पर अधिक देखा जाता है क्योंकि भाई बहिन अपराधी व्यवहार करते हैं तो उसका असर छोटे भाई बहनों पर जरूर पड़ता है।

(घ) माता-पिता का चरित्र व आचार- माता-पिता के चरित्र और आचार का बालकों के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे बालक बहुत कम है जो अपने माता-पिता को झूठ बोलते व मक्कारीपूर्ण व्यवहार, यौन अनैतिकता तथा चोरी करते देखते हुए भी अपना व्यवहार सामाजिक मूल्यों और मान्यताअें के अनुसार बना पाते हैं। मिस इलियट के अध्ययन ने 67 प्रतिशत विच्छृंखलित और 44 प्रतिशत अविच्छृंखलित परिवारों में माता-पिता अनैतिक व्यवहार में लगे हुये थे।

2. विद्यालयः- परिवार के बाद बालक के व्यक्तित्व पर उसके स्कूल का प्रभाव पड़ता है। स्कूल से भाग जाना एक मुख्य किशोरापराध है। विलियमसन ने 1947 में अपने अध्ययन में यह देखा कि किशोरापराध में स्कूल से भागना, चोरियाँ तथा यौन अपराध सबसे मुख्य थे और इसमें भी स्कूल छोड कर भाग जाना और स्कूल के बाहर शहर में घूमना फिरना सबसे अधिक पाये गये। विलियमसन ने स्कूल से भागने के मुख्य कारण माता-पिता द्वारा उपेक्षा, अपराधियों के गिरोह में शामिल होना, अध्यापक द्वारा दण्ड, विषय में कमजोरी तथा शिक्षा स्तर योग्यता से अधिक होना माने है।

3. अपराधी क्षेत्रः- क्लिफोर्ड शॉ और मैक्के के अध्ययन के अनुसार कुछ क्षेत्र बालकों के स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते। यह एक सामान्य बात है कि पड़ौस और मुहल्लों का बालकों पर बड़ा असर पड़ता है। सांख्यिकीय विधि का प्रयोग करके मालर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि न्यूयार्क शहर में किशोरापराधी उस क्षेत्र में अधिक होते थे। जिनमें मनोरंजन का कोई साधन नहीं था बस्ती अस्थिर थी। अस्थिर बस्तियों में कोई स्थायी सामाजिक नियम नहीं होता। उदाहरण के लिए धर्मशालाओं, सरायों तथा होटलों के आस-पास पॉकेटमार अधिक पाये जाते हैं क्योंकि वहाँ आने जाने वालों का सिलसिला बराबर लगा रहता है क्लिफोर्ड शॉ और मैक्के ने लगभग 15 शहरों में किशोरापराध का अध्ययन करके यह देखा कि अपराध की दरें नगर के केन्द्रीय भाग में सबसे अधिक और आखिरी छोर पर सबसे कम थी।

4. बुरी संगतिः- प्रमुख अपराधशास्त्री, ए. एच. सदरलैण्ड के अनुसार अपराधी व्यवहार दूसरे व्यक्ति से अन्तः क्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। सदरलैण्ड के शब्दों में 'कानून के उल्लंघन करने में सहायक परिभाषाओं की उपेक्षा अधिकता हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। बालकों में किसी को बुरी और किसी को अच्छी संगति मिलती है। मनुष्य के व्यवहार पर उसके साथियों का काफी असर पड़ता है।

5. मनोरंजनः-बालकों के विकास के लिए मनोरंजन के साधनों का भी बड़ा महत्व है। स्कूल के बाद शेष समय में स्वस्थ क्रियायें करने की प्रेरणा उन्हें अच्छे वातावरण में ही मिल सकती है। खाली समय का सदुपयोग न होना भी अपराधी व्यवहार को प्रेरित करता है। बालकों के सामाजीकरण और नैतिक प्रशिक्षण में खेल कूद प्रमुख तत्व है। अपर्याप्त और अनियंत्रित मनोरंजन नगर में किशोरापराध का महत्वपूर्ण कारण है। थर्स्टन के एक अध्ययन में 2507 किशोरोपराधियों के खाली समय का दुरूपयोग हुआ था।

6. युद्धः- युद्धकाल और युद्धोतर काल में किशोरपराध की दरें बढ़ी पायी गयी हैं। युद्ध में सम्मिलित होने वाले देशों के बालकों की स्कूल की पढ़ाई में बहुत सी बाधाएँ पड़ती है। अतः बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। नियंत्रण के अभाव के कारण लडकें-लड़कियों को मिलने जुलने की बहुत स्वतंत्रता होती है जिसके कारण यौन अपराध बढते हैं।

7. स्थानान्तरणः- स्थानान्तरण का भी किशोरापराध पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टुअर्ट ने बर्कले नगर के अध्ययन में देखा है कि किशोरापराधी ऐसे स्थान में अधिक रहते थे जहां स्थानातरण अधिक था किंतु अपने परिवार की अपेक्षा वे स्वंय बहुत कम गतिशील होते थें।

8. सामाजिक विघटनः- सामाजिक विघटन में व्यक्ति का विघटन होता है। समाज के विघटित होने पर अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। अतः सामाजिक विघटन भी किशोरापराध का एक कारण है। आधुनिक औद्योगिक समाज में समन्वय और समानता का बड़ा अभाव होता है इससे तनाव बढ़ता है और युवक-युवतियों अपराध की ओर बढ़ते हैं।

2) मनोवैज्ञानिक कारण

अब तक किशोरापराध के सामाजिक कारणों का वर्णन किया गया था। इस विषय पर अधिकतर खोज सांख्यिकी विधि के आधार पर की गई है। किशोरापराध के कारण की खोज करने की अन्य दो विधियों जीवनवृत विधि तथा मनोविश्लेषण विधि के आधार पर खोज से किशोरापराध के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश पड़ा है। अपराध के संबंध में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत आइसलर ने विकसित किया है। अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

1.मानसिक रोग- कुछ अपराधशास्त्रियों ने मानसिक रोग और अपराध में घनिष्ठ संबंध बताये हैं। बालापराधियों पर किये गये कुछ अध्ययनों में विभिन्न मानसिक रोग के रोगी पाये गये हैं और उनको दण्ड की नहीं बल्कि इलाज कार्य जरूरत है। कुछ मानसिक चिकित्सक साइकोपैथिक व्यक्तित्व को अपराध का कारण मानते हैं। साइकोपैथिक बालक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ प्रेम नियंत्रण व स्नेह का पूर्ण अभाव होता है।

2.बौद्धिक दुर्बलता- बौद्धिक दुर्बलता को अपराध का कारण मानने वाले मत के मुख्य प्रवर्तक गौडार्ड थे। डाक्टर गोरिंग ने लोम्ब्रोसों के मत का खण्डन करके यह मत उपस्थित किया कि अपराध का कारण बुद्धि दोष है। गौडार्ड लिखते हैं कि अपराध का सबसे बड़ा एकमात्र कारण बौद्धिक दुर्बलता है।

3.व्यक्तित्व के लक्षण- व्यक्तित्व के लक्षणों और अपराध की प्रवृत्ति में भी बहुत निकट संबंध पाया गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के परिवेश से अनुकूलन करने का ढंग है। अपराधी बालक इस अनुकूलन में अपराधी कार्यों का प्रयोग करते हैं अतः जिनसे किशोरापराध के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। ग्ल्यूक ने अपनी पुस्तक में बालापराधियों में सामान्य बालक की अपेक्षा स्वच्छन्दता, विद्रोह, सन्देहशीलता, दूसरों को दुःख देने में सुख लेना, संवेगात्मक व सामाजिक असमंजस, हिंसात्मक प्रवृत्ति असंयम बहिर्मुखी स्वभाव आदि कहीं अधिक पाये।

4.संवेगात्मक अस्थिरता- इसी प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम और सहानुभूति की कमी संवेगात्मक असुरक्षा, कठोर अनुशासन, हीनता तथा अपर्याप्तता की भावना और विद्रोह की प्रतिक्रिया बालकों के व्यक्तित्व को असन्तुलित बना देती है, जिससे बालक को अपराधी व्यवहारी की प्रेरणा मिलती है।

3)आर्थिक कारण

आर्थिक कारण एवं बाल अपराधों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद है जार्ज बोल्ड तथा हीली का मत है कि अधिकांश दशाओं में आर्थिक परिस्थितियाँ बाल-अपचार का कारण होती है जब कि मैरिल ने अपनी पुस्तक 'दा प्राब्लम् ऑफ डेलिनक्वेन्सी' में यह सिद्ध किया है कि अधिकांश बाल अपचारी मध्यम तथा उच्च वर्ग के होते हुए भी अपचारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं परन्तु यदि भारतीय सन्दर्भों में देखा जाये तो आर्थिक दशा और बाल अपचार में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

1. निर्धनता- गरीबी सभी बुराईयों की जननी है। बाल अपचार का एक प्रमुख कारण गरीबी होती है। गरीबी के कारण माता-पिता अपने बच्चों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, परिणामस्वरूप बच्चे चोरी, पॉकेटमारी राहजनी और हेराफेरी आदि असामाजिक कार्य करने लगते हैं। भारत सरकार द्वारा बाल अपराधियों पर एक सर्वे किया गया, उससे ज्ञात हुआ कि 48 प्रतिशत बाल अपचारी ऐसे परिवारों के सदस्य थे जिनकी मासिक आय 250 रूपये से भी कम थी। बर्ट महोदय के मतानुसार आधे से अधिक बाल अपचारी निर्धन परिवारों से होते हैं।

2. भुखमरी- निर्धनता के कारण लोग अपना भरण पोषण उचित ढंग से नहीं कर पाते है। अतः भुखमरी का सामना करना पड़ता है भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है ऐसी स्थिति में भूखे-नंगे बालक चोरी, लूट, पॉकेटमारी आदि करते हैं।

3. बच्चों का नौकरी करना- निर्धनता के कारण परिवार के छोटे बालकों को अपनी उदरपूर्ति के लिए छोटे-मोटे कामधंधे करने पड़ते हैं। निर्धन परिवारों के बच्चों होटलों, सिनेमाघरों, दुकानों और धनी परिवारों में काम करते हैं फलस्वरूप उनमें हीन भावनायें और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति में रहने वाले बालकों में नशाखोरी, धुम्रपान, जुआ, चोरी और वैश्यावृति की बुरी आदतें पड़ जाती हैं।

4. पारिवारिक संघर्ष- अध्ययनों से ज्ञान हुआ है कि बाल अपचारियों का पारिवारिक जीवन संगठित और शक्तिपूर्ण नहीं रहता है। इस संबंध में स्लोवसन तथा बर्ट का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि ऐसे परिवार में बाल अपराधियों का पालन-पोषण हुआ था जो तलाक, बंटवारा, परित्याग एवं माता-पिता की मृत्यु के फलस्वरूप दूषित हो गया था ऐसे परिवार में भी बाल अपराधी पाये जाते हैं जिनमें पति-पत्नी या परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता।

किशोर अपराधों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारणों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस विषय में विशिष्ट कारणवाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। वास्तव में आज तक कोई भी अपराध शास्त्री या मनोवैज्ञानिक इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता है कि अपराध के कारण विविध हैं।

भारत में बाल-अपराधियों के सुधार हेतु सरकार के प्रयास

बाल-अपराध एक गम्भीर समस्या है इसलिये इसको सुधारने की दिशा में प्रायः सभी राष्ट्र प्रयत्नशील है चूंकि आज के बाल-अपराधी कल के अपराधी बनेंगे, इसलिए बाल-अपराधियों का सुधार आवश्यक होता है बाल-अपराधियों को सुधारने के लिए अग्रांकित सुधारात्मक संस्थाओं का विकास हुआ है-

1. किशोर न्यायालय

किशोर न्यायालय का उद्देश्य बाल अपराधियों को दण्ड देना नहीं है बल्कि उनको संरक्षण प्रदान करना है। इस न्यायालय में जज एवं जूरी के स्थान पर चिकित्सक मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री होते हैं। इसका अध्यक्ष एक वेतन प्राप्त मजिस्ट्रेट होता है। इस मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए अवैतनिक महिला मजिस्ट्रेट रहती है इस न्यायालय में न तो बाल-अपराधों को हथकड़ी पहनाकर लाया जाता है और न ही बांधकर लाया जाता है। साथ ही पुलिस के आदमी भी सादे वेशभूषा में होते हैं। बालक को बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाता है और उन कारणों को खोजने का प्रयत्न किया जाता है। जो बालक को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बालक दोषी सिद्ध होते हैं, उन्हें न्यायालय या तो माता-पिता को सुपुर्द कर देता है या प्रोबेशन आफिसर की देख रेख में छोड़ देता है या सुधारगृह में भेजने की स्वीकृति देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में किशोर न्यायालय है भारत में सबसे पहले मुम्बई में किशोर न्यायालय स्थापित हुआ।

2. सुधार गृह

सुधार गृह भी बाल अपराधियों के सुधार की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सुधार गृह बाल अपराधियों के सुधार की एक संस्था है जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को ही रखा जाता है जो गम्भीर अपराध नहीं किए रहते हैं। भारत में 1987 में 'त्मवितउंजंतल बीववस ।बज' पास हुआ। इस एक्ट के पास होने के बाद यह व्यवस्था की गई कि 15 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को जल न भेजकर सुधार गृह में भेजा जायें ।

3. बोस्टल संस्था

बोर्स्टल स्कूल 16-21 वर्ष की आयु समूह के किशोर अपराधियों के लिए स्थापित किये गये प्रत्येक स्कूल की क्षमता 100 से 350 निवासियों के बीच घटती-बढ़ती है। यद्यपि यह स्कूल महानिरीक्षक जेल (इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स) के सामान्य निरीक्षण में काम करते हैं। तथापि प्रत्येक स्कूल की एक अपनी निरीक्षण समिति होती है जिसमें एक सत्र न्यायाधीश एक जिला मजिस्ट्रट, जिला स्तर का स्कूल अफसर और चार गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कोई भी निवासी यहां दो वर्ष से कम पांच वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता। इस प्रकार केवल उन्हीं अपराधियों को इन स्कूलों में भेजा जाता है जिन्हें तीन वर्ष से अधिक की सजा होती है।

4. प्रमाणित विद्यालय

प्रमाणित विद्यालय भी बाल अपराधियों के सुधार की एक संस्था है इस विद्यालय में उन बच्चों को रखा जाता है जो तिरस्कृत होते हैं या निराश्रित होते हैं। इस विद्यालय में असामान्य प्रकृति के बच्चों को भी रखा जाता है तथा उनकी चिकित्सा की जाती है। प्रमाणित विद्यालय भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रमाणित विद्यालय को जूनियर प्रमाणित विद्यालय तथा दूसरे प्रकार के प्रमाणित विद्यालय को सिनियर प्रमाणित वियालय कहा जाता है। जूनियर प्रमाणित विद्यालय में 10 से 12 वर्ष के बाल अपराधियों को रखा जाता है जबकि सीनियर प्रमाणित विद्यालय में 12 से 16 वर्ष तक के बाल अपराधियों को रखा जाता है। प्रमाणित विद्यालय में भर्ती करने से पहले बाल अपराधी को रिमाण्ड होम में रखा जाता है इसके बाद उसे किशोर न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। यदि न्यायालय ऐसा अनुभव करता है कि बाल अपराधी संस्थात्मक उपचार चाहता है तो उसे प्रमाणित विद्यालयों में रहने की छूट दे दी जाती है। बाल अपराधी कितने समय तक प्रमाणित स्कूल में रहेगा, यह निश्चित नहीं रहता है किन्तु 18 वर्ष की आयु हो जाने पर बाल अपराधी को प्रमाणित स्कूल से छोड़ दिया जाता है।

5. रिमाण्ड होम

रिमाण्ड होम भी बाल अपराधियों के सुधार की एक संस्था है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पकडें गए बाल अपराधियों को पुलिस की हिरासत में न रखकर एक विशेष गृह में रखा जाता है जिसे रिमाण्ड गृह कहा जाता है। रिमाण्ड होम में बाल अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है साथ ही यह भ आवश्यक है कि चौबीस घण्टे के अंदर उसे किसी न्यायाधीश के सामने पेश किया जायें इतना ही नहीं बल्कि अधिकांश परिस्थितियों में रिमाण्ड होम में उन बालकों को रखा जाता है जो घर से भागे हुए हो या जिसका कोई घर द्वार नहीं हो अथवा जो नष्ट घर की उपज हो। रिमाण्ड होम में प्रोबेशन अधिकारी बच्चे की व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा वातावरण संबंधी समस्या का अध्ययन करता है तथा न्यायालय के सामने अपने विचार प्रस्तुत करता है जिससे बाल अपराधियों को समझने में मदद मिलती है। जब बाल अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तथा उसके बाद जब तक पूरी छानबीन समाप्त नहीं हो जाती तब तक रिमाण्ड होम में रखा जाता है।

6. प्रोबेशन

प्रोबेशन भी बाल अपराधियों के सुधारने की एक संस्था है प्रोबेशन प्रणाली के अन्तर्गत एक प्रोबेशन अधिकारी की भी नियुक्ति होती है प्रोबेशन प्रणाली में प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर बच्चों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है प्रोबेशन अधिकारी के रूप में उन व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, जिन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। चूंकि प्रोबेशन अधिकारी बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होता है इसलिए वह बाल अपराधियों की समस्याओं को सही ढंग से समझकर बाल अपराधियों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है एवं बाल अपराधियों को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता है।

7. फोरस्टर गृह

फोरस्टर गृह वह संस्था है जहां 10 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को रखा जाता है साथ ही पिता के परित्याग, तलाक, कैद अथवा मृत्यु के कारण आवारा हो गए हो। इस गृह का उद्देश्य बच्चों का बाल अपराधी बनने से रोकना है साधारणतया फोरेस्टर गृह ऐच्छिक संगठनो द्वारा चलाया जाता है किंतु उसे सरकारी सहायता प्राप्त होती है।

उपर्युक्त संस्थाओं के अलावा सहायक गृह तथा उत्तर रक्षा संस्था भी भिन्न-भिन्न रूपों में बाल अपराधियों के सुधार का कार्य करते हैं।

बाल-अपराध का उपचार

बाल-अपराधी प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए दो पक्षों पर ध्यान देना होता है, प्रथम बाल-अपचारियों का उपचार करना दूसरा बाल-अपचार को रोकना बाल-अपचार को रोकने के लिए पारिवारिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गतिविधियाँं को संगठित रूप से प्रयास करना होगा, जिससे भविष्य में बच्चे बाल-अपचारी न बनें। बाल-अपचारियों का उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों, मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषणात्मक प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ उन प्रविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अ) मनोवैज्ञानिक प्रविधि

मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा बाल-अपचार के कारणों का पता लगाया जाता है। उन कारणों का विश्लेषण किया जाता है और उपचार के उपाय सुझाये जाते हैं मनोवैज्ञानिक प्रविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है-

- **वातावरण उपचारः-** इस उपचारात्मक विधि के द्वारा सामान्यतः बालक के घर एवं स्कूल के वातावरण को सुधारने का प्रयास किया जाता है। अभिभावकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यवहार में सुधार लावें। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों को खराब वातावरण से हटाकर कुछ समय के लिए अच्छे स्थानों पर भेज दिया जाये ऐसी आशा की जाती है कि जब बाल-अपचारियों को नये वातावरण में भेज दिया जाता है तो वे अपराधी प्रवृत्ति छोड़ कर नये सिरे से जीवन शुरू करते हैं।
- **पुनः शिक्षाः-** बालक असामाजिक क्रियायें पूर्व में सीख चुका होता है। यहाँ पुनः शिक्षा का उद्देश्य उसे फिर से पढ़ाना-लिखाना नहीं है। बल्कि उसे पारिवारिक संबंधों एवं यौन समस्याओं के विषय में सही जानकारी देना और उसे सही रास्ते पर लाना होता है। उन विभिन्न समस्याओं को जिनका सामना बच्चों को आये दिन करना पड़ता है। उनके संबंध में वैचारिक स्पष्टता उत्पन्न करना ही पुनः शिक्षा का उद्देश्य है।
- **अनिर्देशित विधिः-** अनिर्देशित का अर्थ होता है कि बालक में अवदमित इच्छाओं एवं संवेगों का स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देना। पारस्परिक विचारों- विमर्श एवं वार्ता के द्वारा यह कार्य सम्भव होता है। बालक को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाता है। परामर्षक बालक के साथ पूरी तरह से घुल-मिल जाता है। इसी बीच वह बालक की इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों को समझ लेता है और तदनुरूप उपचार के प्रयास करता है।

- **सुझाव और परामर्शः-** वयस्कों की तुलना में बालकों को आसानी से समझाया जा सकता है। बाल-अपचारियों को समारात्मक सुझाव देकर सही मार्ग पर लाया जा सकता है। समय-समय पर उससे परामर्श करना व उसकी समस्याओं का निवारण करना भी लाभकारी रहता है।

(ब) प्रोत्साहन

मनोवेता बाल अपचारियों को अपने विश्वास में लेते उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि भविष्य में वह किसी प्रकार का अपराध न करें। प्रोत्साहन तार्किक होना चाहिए जो बच्चे को प्रभावित कर सके। प्रोत्साहन के द्वारा केवल अपराधी लक्षणों को समाप्त किया जा सकता है अपराध के कारणों को नही।

(स) मनोविश्लेषण प्रविधि

बाल अपचार की मनोविश्लेषणात्मक प्रविधियों के द्वारा बालक के अचेतन मन में छिपे मनोभावों संवेगों, दमित इच्छाओं एवं भग्नाशाओं को समझने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार अपचारी व्यवहार विचलन के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उनका विश्लेषण करके उपचारात्मक उपाय सुझाये जाते हैं। इस प्रविधि में स्वतंत्र साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण करके अपचारी प्रवृत्तियों का उपचार किया जाता है।

(द) मनोचिकित्सा प्रविधि

मनोचिकित्सक बाल अपराचारियों का उपचार अपनी पद्धति से करते हैं इसके लिए खेल पद्धति सबसे उपयोगी विधि है खेल में बालक खुलकर व्यवहार करता है अतः उसके अन्तःमन में छिपी भावना ग्रंन्थियों प्रकट हो जाती है। बालक अपनी दमित इच्छाओं और मनायोग का प्रकाशन खेल में करता है। मनोचिकित्सक बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है और इस प्रकार उसके साथ संवेगात्मक संबंध स्थापित करके उसे अपने विश्वास में ले लेता है। इस प्रकार बाल-अपराध के कारणों का निदान एवं उपचार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बर्ट के अनुसार मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय के द्वारा बाल अपराधो की संख्या घटाना सम्भव होगा।

निष्कर्षः-

बाल अपराध के कारणों में से सबसे अधिक व्यापक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक कारण हैं। प्रमुख सामाजिक कारणों में परिवार, विद्यालय, अपराधी क्षेत्र, बुरी संगति, मनोरंजन, युद्ध, स्थानान्तरण एवं सामाजिक विघटन हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारणों में मानसिक रोग, बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्तित्व के लक्षण, संवेगात्मक अस्थिरता हैं। आर्थिक कारणों में निर्धनता, भुखमरी, बच्चों का नौकरी करना, पारिवारिक संघर्ष प्रमुख हैं। बाल-अपराधियों को सुधारने के लिए किशोर न्यायालय, सुधार गृह, बोर्स्टल स्कूल, प्रमाणित विद्यालय, रिमाण्ड होम, प्रोबेशन एवं फोरस्टर गृह जैसी सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की गयी है। बाल-अपचारियों का उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों- वातावरण उपचार, पुनः शिक्षा, अनिर्देशित विधि, सुझाव और परामर्श का प्रयोग करना चाहिए। उसके अतिरिक्त प्रोत्साहन, मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि का उपयोग भी विशेष लाभकारी हो सकता है।

आज का बालक कल देश का कर्णधार होता है उसके कंधे पर परिवार समुदाय और राष्ट्रों का भारत होता है। यदि वह पहले से गलत रास्तों पर चलना सीख जायें गा तो देश का उद्धार असम्भव हो जायें गा इसलिए बदलती भारत की परिस्थितियों में बाल-अपराध को सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार करना होगा और इसी रूप में इसका निदान भी करना होगा।

बाल अपराधियों के साथ काम करते हुए जब हम उन्हें बार-बार चोरी करते, झूठ बोलते या हिंसक व्यवहार करते हुए देखते हैं तो कई बार निराशा की भावना होती है। इससे निबटने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है

कि आप ऐसे बच्चों के साथ वही व्यवहार करे जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चे वे चाहे हमारे या सड़कों पर घूमने वाले ही क्यों न हो; उन्हें प्यार विश्वास और सही दिशा की जरूरत होती है।

संदर्भ सूची

1. एच. एच. लाऊ, ज्वेनाइल कोटर्स इन दि युनाईटेड स्टेट्स, वाशिंगटन, 1930.
2. एच एच सदरलैण्ड, प्रिसीपल्स ऑफ क्रिमीनोलॉजी टाइम्स ऑफ इण्डिया, प्रेस, बोम्बे, 1965.
3. ग्लूक्स शेल्डन फैमिली इन्वायरनमेंट एण्ड डेलीक्वेन्सी बोस्टन, 1962.
4. मार्टिन न्यूमेयर एच. ज्वेनाईल डिलेक्वींसे इन मार्डन सोसायटी, न्यूयार्क 1861.
5. मावरर ई. आर. डिस् आर्गेनाईजेशन्स पर्सनल एण्ड सोशियल,
6. मैरिल व इलियट, प्रोब्लम्स ऑफ चाइल्ड डेलिनक्वेन्सी बोस्टन, 1942.
7. स्टीफेन शैफर एण्ड, रिचर्ड डी खुडफेन, ज्वेनाईल डिलेक्वेंशी: इन इन्ट्रोटेक्शन, न्यूयार्क, 1970.
8. सिरिल बर्ट: दी यंग डिलेक्वंसी लन्दन, 1926.
9. सोल रूविन दि लीगल करेक्टर ऑफ ज्वेनाइल डेलिक्वेंसी दि अनाल्स, जनवरी, 1941.
10. विलियम हीली एण्ड आगस्ता एफ ब्रोनर, डेलीक्वेन्सी एण्ड क्रिमीनल: देयर मेकिंग एण्ड अनमेंकिग न्यूयार्क, 1926.
11. विल्फोर्ड आर शॉ एण्ड हेनरी डी के ज्वेनाइल डेलीक्वेन्सी एण्ड अरबन एरियाज, शिकागो, 1942.

निशा पारीक

शोध छात्रा , राजनीति विज्ञान विभाग , वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.